न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 78/2016

अनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम

1. कृष्णादेवी पत्नि रामकिशन जाति खाती सा0 मौजाना डाबडी।
2. पवन पुत्र रामकिशन जाति खाती सा0 मौजाना।
3. पुनीत पुत्र रामकिशन जाति खाती सा0 मौजाना।
4. गायत्री पुत्री रामकिशन जाति खाती सा0 मौजाना।
5. मीना पुत्री रामकिशन जाति खाती सा0 मौजाना।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज नायब तहसीलदार भादरा : सायल

निर्णय दिनांक : 25/1/16

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजाना के खाता सं0 3 के खसरा सं0 26, 27, 37 की कुल 5.4130 है0 भूमि वर्तमान में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार कृषि जोत के स्वरूप का परिवर्तन कर दिया गया है।

खसरा सं0 26, 27, 37 की कुल 5.4130 है0 खातेदारी भूमि में खातेदार द्वारा कृषि के लिए दी गयी जोत की शर्तो का उल्लंघन करके ईन्ट भट्टा लगाकर कृषि भूमि को अकृषि में परिर्वतन कर दिया गया है, जो काबिले सिवायचक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए।

खातेदार द्वारा विधि विरूद्ध मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि भूमि को अकृषि कार्य में बिना सरकार की स्वीकृति लिये उक्त कार्यवाही कर रहा है। उक्त कृषि भूमि काश्त के काम में नही ली जा रही है व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। भूमि पर काबिज व्यक्ति द्वारा ईन्ट भट्टा लगाया जाकर कृषि के स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस राज पेरोकार सुनी गई। राज पेरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि को अप्रार्थी ईंट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य के उपयोग में ले रहे है जिससे राज्य सरकार को अपूर्णिय राजस्व हानि उठानी पड़ रही है।

हमारे द्वारा राज पेरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि का स्वरूप बदला जाकर खुर्द बुर्द की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा वादभूमि में निरन्तर अकृषि कार्य करने से भूमि का स्वरूप व प्रयोजन में बदलाव हो जाएगा, जिससे अपूरणीय क्षति की सम्भावना है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है व विधि के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थी को ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूल वाद के निर्णय तक ग्राम मौजाना के खाता सं0 3 के खसरा सं0 26, 27, 37 की कुल 5.4130 है0 भूमि को रहन बैय व दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 25/1/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़